



सत्यमेव जयते

No.1/2/2017-Coord.  
Government of India  
National Commission for Scheduled Tribes  
\*\*\*\*\*

6<sup>th</sup> Floor, 'B' Wing, Lok Nayak Bhawan,  
Khan Market, New Delhi -110003  
Dated: 19<sup>th</sup> April, 2017

To,

1. Shri Nand Kumar Sai, Hon'ble Chairperson
2. Miss Anusuiya Uikey, Hon'ble Vice-Chairperson
3. Shri Hari Krishna Damor, Hon'ble Member
4. Shri Harshadbhai Chunilal Vasava, Hon'ble Member
5. Smt. Maya Chintam Ivnate, Hon'ble Member

**Subject: Summary Record of discussions 94<sup>th</sup> Meeting of National Commission for Scheduled Tribes (NCST) held on 23.3.2017 at 11:00 Hrs.**

Sir/Madam,

I am directed to refer to the above subject and to say that 94<sup>th</sup> meeting of the National Commission for Scheduled Tribes was held on 23.3.2017 at 11:00 Hrs. in the Conference Room of NCST at Lok Nayak Bhawan, New Delhi. The Meeting was presided over by Shri Nand Kumar Sai, Hon'ble Chairperson, National Commission for Scheduled Tribes. A copy of the Summary Record of discussions of meeting is enclosed for information and record.

Yours faithfully,

(K.D Bhansor) Mrs  
Director

Copy of the Summary Record of discussions of 94<sup>th</sup> meeting of NCST forwarded to the following Officers with request that information about action taken on the decision taken in the meeting concerning each Unit/Office may be furnished to Coordination Cell by 5.5.2017 positively:

- (i) Director (RU-III & IV and Admin)
- (ii) Deputy Secretary (RU-I & II)
- (iii) Under Secretary (Coordination & Estt.)
- (iv) Assistant Director (RU-III & Admin)/AD (OL & RU-II & III)

Copy of Summary Record of discussion of 94<sup>th</sup> meeting forwarded for information to:

1. PS to Hon'ble Chairperson, NCST
2. PS to Hon'ble Vice-Chairperson, NCST
3. PA to Hon'ble Member (Shri HKD), NCST
4. PS to Hon'ble Member (Shri HCV), NCST
5. PA to Hon'ble Member (Smt. MCI), NCST
6. PA to Secretary, NCST
7. PA to Joint Secretary, NCST
8. Director/Assistant Director/Research Officer in Regional Office of NCST at Bhopal/Bhubaneshwar/Jaipur/ Raipur/ Ranchi/Shillong
- ✓ 9. NIC, NCST for uploading on the website.

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) की 94वीं बैठक में हुई चर्चा का कार्यवृत्त।

फाईल सं. 1/2/2017-समन्वय

दिनांक : 23 मार्च, 2017

समय : 11:00 बजे

स्थान : सम्मलेन कक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, छटा तल, लोकनायक भवन, नई दिल्ली-110003

अध्यक्षता : श्री नन्द कुमार साय, माननीय अध्यक्ष।

सहभागियों की सूची :

1. श्री नन्द कुमार साय, अध्यक्ष
2. सुश्री अनुसुईया उइके, उपाध्यक्ष
3. श्री हरि कृष्ण डामोर, सदस्य
4. श्री हर्षदभाई चुनीलाल वसावा, सदस्य
5. श्री राघव चंद्रा, सचिव
6. श्री एस.के. रथ, संयुक्त सचिव
7. श्रीमती के.डी. बंसौर, निदेशक
8. श्री पी.टी. जेम्सकुट्टी, उप सचिव
9. श्री दिलीप एस. कुंभारे, अवर सचिव
10. श्री एस.पी. मीना, सहायक निदेशक
11. श्री राजेश्वर कुमार, सहायक निदेशक

बैठक के लिए निर्धारित कार्यसूची मदों पर चर्चा की गई और निम्नलिखित निर्णय लिए गए-

कार्यसूची मद सं० 1	डॉ० किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी, सांसद, लोकसभा द्वारा गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का समावेशन विधेयक, 2016 <b>The inclusion of SC/ST Population in below poverty line category Bill, 2016 by Dr. Kirit Premjibhai Solanki, Member of Parliament, Lok Sabha.</b>
--------------------------	---

1.1 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने कार्यालय ज्ञापन संख्या 16014/1/2017-एससीडी-VI (डीएएफ) दिनांक 27.01.2017 द्वारा

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai  
अध्यक्ष/Chairperson  
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग  
National Commission for Scheduled Tribes  
भारत सरकार/Govt. of India  
नई दिल्ली/New Delhi

कार्यसूची मद सं० 2	मंत्रिमंडल के लिए ड्राफ्ट नोट- गोरखालैंड क्षेत्र प्रशासन अधिनियम, 2011 को निर्मित करने के दृष्टिकोण से संविधान के भाग-IX के अनुच्छेद 243एम(3) में संशोधन <b>Draft Note for the Cabinet –Amendment to Article 243M (3) of Part IX of the Constitution, in view of the enactment of Gorkhaland Territorial Administration Act, 2011</b>
--------------------------	--

2.1. जनजातीय कार्य मंत्रालय ने पत्र संख्या 19012/03/2017-पीजी दिनांक 02.03.2017 द्वारा पंचायती राज मंत्रालय के का.ज्ञा.सं. एन-11011/40/2016-पीआरआई दिनांक 23.02.2017 के साथ 'मंत्रिमंडल के लिए ड्राफ्ट नोट- गोरखालैंड क्षेत्र प्रशासन अधिनियम, 2011(जी.टी.ए.) को निर्मित करने के दृष्टिकोण से संविधान के भाग-IX के अनुच्छेद 243एम(3) में संशोधन' हेतु आयोग को टिप्पणी के लिए भेजा है।

2.2. ड्राफ्ट नोट में उल्लिखित है कि दार्जिलिंग गोरखा पर्वतीय परिषद् (डीजीएचसी) अब विद्यमान नहीं है। जीटीए एक्ट, 2011 द्वारा डीजीएचसी अधिनियम, 1988 को हटा दिया गया है। जीटीए एक्ट में तीन स्तरीय पंचायत का प्रावधान है। परिणामस्वरूप संविधान के अनुच्छेद 243एम अधिदेश के अनुसार दार्जिलिंग जिले के पर्वतीय क्षेत्रों में जिला पंचायत या जिला परिषद की स्थापना से छूट नहीं है। इसलिए, तदनुसार संविधान में संशोधन करके अपवाद को दूर किया जाए।

इसलिए, यह प्रस्तावित है कि अनुच्छेद 243एम (3) को निरस्त किया जाए तथा निम्नानुसार उपखण्ड (सी) को अनुच्छेद 243एम (4) में जोड़ा जाए।

संविधान के भाग-IX तथा IX क प्रावधानों के अनुसार पश्चिम बंगाल राज्य विधानसभा, विधि द्वारा, दार्जिलिंग जिले के पर्वतीय क्षेत्रों के लिए एक पृथक जिला स्तर पंचायत तथा एक जिला योजना समिति स्थापित कर सके।

2.3. उपरोक्त प्रकरण पर विस्तृत विवेचना के बाद, आयोग ने प्रस्ताव का समर्थन किया।

75/19.4.17

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai  
अध्यक्ष/Chairperson  
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग  
National Commission for Scheduled Tribes  
भारत सरकार/Govt. of India  
नई दिल्ली/New Delhi

